राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांकःप. 2(1)(20)का/क–3/शिका./21 जयपुर, दिनांक : 26/7/2021

आदेश

श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा, आयुक्त श्रम विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (प्रतिनियुक्ति पर.), राजस्थान जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के आपराधिक प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 26.06.2021 को गिरफ्तार किया गया।

अतः राज्य सरकार, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 20 के अनुसरण में श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा, आयुक्त श्रम विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (प्रतिनियुक्ति पर), राजस्थान जयपुर को 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2)(ए) के अन्तर्गत श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा को दिनांक 26.06.2021 से एतद्द्वारा निलम्बित करने के आदेश प्रदान करती है।

श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

ह0

(डॉ0 प्रिया बलराम शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग को श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री प्रतीक झाझडिया को सुपुर्द करा कर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि अर्द्धवेतन अवकाश पर रहने के बराबर निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगें।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर ।
6. श्री प्रतीक झाझडिया, भारतीय डाक सेवा द्वारा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. निदेशक, भारत सरकार, डाक विभाग, डाक भवन, सनाड मार्ग, नई दिल्ली।

उप शासन सचिव